झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा
द्वादश-सत्र
वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, वृहस्पतिवार, दिनांकः- 28 अग्रहायण, 1935 (श0) को 19 दिसम्बर, 2013 (ई0) झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

ांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	सबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	02.	03.	04.	05.	06.
53.	अ0सू0-16	श्री बन्धु तिर्की	विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की आपूर्ति।	ऊर्जा	12.12.13
54.	अ0सू0-07	श्री संजय कु0 सिंह यादव	गाँवों में विद्युत आपूर्ति।	ऊर्जा	09.12.13
55.	अ0सू0-15	श्री गुरूचरण नायक	कैनाल का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	12.12.13
56.	अ0सू0-27	श्री दीपक बिरूवा	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	सहकारिता	15.12.13
57.	अ0सू0-24	श्री कमल किशोर भगत	अल्पसंख्यक शोद्य केन्द्र की स्थापना।	कल्याण	15.12.13
58.	अ0सू0-26	श्री गोपाल कृष्ण पातर	नहर का निर्माण।	जल संसाधन	15.12.13
59.	अ0सू0-21	श्री मथुरा प्रसाद महतो	गाँवों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	12.12.13
60.	अ0सू0-20	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	गाँवों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	12.12.13
61.	अ0सू0-19	श्री प्रदीप यादव	अनुदान का भुगतान।	कल्याण	12.12.13
62.	अ0सू0-10	श्री जगरनाथ महतो	विद्युत तार बदलना।	ऊर्जा	09.12.13
63.	अ0सू0-12	श्री रामचन्द्र सहिस	आवासीय विद्यालय की स्थापना।	कल्याण	10.12.13
64.	अ0सू0-11	श्री रामचन्द्र सहिस	तालाबों का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	10.12.13
65.	अ0सू0-08	श्री अरविन्द कु0 सिंह	योजना पूर्ण कराना।	ऊर्जा	09.12.13
66.	अ0सू0-03	श्री बन्धु तिर्की	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	कल्याण	06.12.13
67.	अ0सू0-18	श्री प्रदीप यादव	किसानों को विशेष सहायता।	कृषि एवं गन्ना विकास	12.12.13

01.	02.	03.	04.	05.	06.
68.	अ0सू0-09	श्री जगरनाथ महतो	पौद्यशाला का निर्माण।	कृषि एवं गन्ना विकास	09.12.13
69.	अ0सू0-05	श्री समरेश सिंह	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	जल संसाधन	07.12.13
70.	अ0सू0-06	श्री जनार्दन पासवान	श्री राम का स्थानांतरण।	सहकारिता	07.12.13
71.	अ0सू0-22	श्री अरूण मंडल	बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	12.12.13
72.	अ0सू0-02	श्री सौरभ नारायण सिंह	कैनाल की मरम्मति।	जल संसाधन	06.12.13
73.	अ0सू0-13	श्री चंद्रप्रकाश चौधरी	अधूरा कार्य पूरा कराना।	जल संसाधन	10.12.13
74.	अ0सू0-14	श्री रामचन्द्र बैठा	गाँवों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	12.12.13
75.	अ0सू0-17	श्री अरविन्द कु0 सिंह	मुआवजा देने का विचार।	जल संसाधन	12.12.13
76.	अ0सू0-01	श्री अरूप चटर्जी	राशन कार्ड का वितरण।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	06.12.13
77.	अ0सू0-23	श्री अरूण मंडल	लैम्पस का कार्यालय निर्माण।	सहकारिता	14.12.13
78.	अ0सू0-25	श्री गोपाल कृष्ण पातर	दुग्धशाला केन्द्र को क्रियाशील करना।	पशुपालन एवं मत्स्य	15.12.13

राँची,
दिनांकः-19दिसम्बर,2013(ई0)

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-09/10 640 /वि0स0,राँची,दिनांक-16.दिसम्बर,2013ई0।

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण /संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.13
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-09/10 640 /वि0स0,राँची,दिनांक-16.दिसम्बर,2013ई0।

प्रतिलिपिः-अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय/उप सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान-सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16.12.13
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–16 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा घरेलु उपभोक्ताओं से 02.40 रु० तथा किसानों से 60 पैसा प्रति यूनिट चार्ज किया जाता है। वर्तमान में कोलकाता में निजी कंपनी (फ्रेंचाईजी) द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 07.95 रु० चार्ज किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड में लागू घेरलू उपभोक्ताओं का टैरिफ निम्नांलिखित हैः–

घरेलु उपभोक्ता की श्रेणी	फिक्सड चार्ज		ईनर्जी चार्ज
		दर रू० में	दर (रु० प्रति यूनिट)
घरेलु कुटीर ज्योति (मीटरड) (0–100)	रु०/कनेक्शन/माह	15	120
घरेलु कुटीर ज्योति (अन–मीटरड)	रु०/कनेक्शन/माह	40	–
घरेलु 1बी, (मीटरड) (0–200)	रु०/कनेक्शन/माह	25	140
घरेलु 1बी, (मीटरड) (200 से ज्यादा)	रु०/कनेक्शन/माह	25	140
घरेलु 1बी, (अन–मीटरड)	रु०/कनेक्शन/माह	100	–
घरेलु2, 4 किलोवाट एवं उससे कम (0–200)	रु०/कनेक्शन/माह	40	240
घरेलु3, 4 किलोवाट एवं उससे कम (201 और उससे ज्यादा)	रु०/कनेक्शन/माह	60	290
घरेलु3, 4 किलोवाट से ज्यादा	रु०/कनेक्शन/माह	100	300
घरेलु उच्च विभव	रु०/केभीए/माह	75	• 260

किसान के लिए कृषि विद्युत सम्बन्ध का टैरिफ निम्नलिखित है :–

कृषि उपभोक्ताओं की श्रेणी	फिक्सड चार्ज		ईनर्जी चार्ज
		दर रू में	दर (रू प्रति युनिट)
आईएएस1(मीटरड)	रु०/एचपी/माह	–	060
आईएएस1(अन–मीटरड)	रु०/एचपी/माह	70	–
आईएएस1(मीटरड)	रु०/एचपी/माह	–	100
आईएएस 2(अन–मीटरड)	रु०/एचपी/माह	280	–

कोलकाता के निजी कंपनी के द्वारा घरेलु उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट चार्ज किये जा रहे टैरिफ के बारे में इस कार्यालय को सूचना उपलब्ध नहीं है। रॉची एवं जमशेदपुर में प्रस्तावित फ्रेंचाईजी द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही विद्युत के टैरिफ निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होगी । वस्तुतः झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा ही झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के माध्यम से सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ निर्धारित करवाया जायेगा ।

2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए घरेलू उपभोक्ताओं से केवल आवेदन शुल्क, जमानत राशि एवं सर्विस चार्ज ही लिया	आंशिक स्वीकारात्मक है। 440 वोल्ट की लाईन से घर तक का विद्युत संबंध के लिए प्रयुक्त तार उपभोक्ता के द्वारा दिया जाता है । ऐसा क्षेत्र जहाँ विद्युत तंत्र नहीं पहुंचा है, वहाँ पर घरेलु विद्युत संबंध देने हेतु आधारभूत संरचना पर होने वाले खर्च उपभोक्ता से लिये

जाता है, विद्युत कनेक्शन के लिए अधारभूत संरचना पर होने वाले खर्च सरकार करती है;	जाते हैं ।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विद्युत आपूर्ति क्षेत्र राँची तथा जमशेदपुर में बिजली वितरण व्यवस्था निजी कंपनियों को नहीं देकर झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से ही करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची एवं जमशेदपुर अंचल में बिजली वितरण के क्रम में वर्तमान् में क्रमशः 41% एवं 34% संचरण घाटा हो रहा है एवं गत 5 वर्षों में निरन्तर प्रयासों के उपरान्त भी उक्त संचरण घाटा में मात्र 5 से 6% की कमी आयी है । इस प्रकार से पूरे राज्य में हो रहे संचरण घाटा के कारणवश एवं रिसोर्स गैप अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक–31.03.2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का कुल संकलित घाटा रु0–10,165 करोड़ है । वित्तीय वर्ष–2013–14 में अनुमानतः परिचालन घाटा लगभग रु0–2000 करोड़ का होने की आशंका है । जिसके विरूद्ध रु0–1500 करोड़ सरकार द्वारा रिसोर्स गैप के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है । अतएव ऐसी परिस्थिति में देश के अन्य राज्यों में लागू किये गये वितरण फ्रेंचाइजी के लाभदायक परिणामों के आधार पर राँची एवं जमशेदपुर हेतु भी वितरण फ्रेंचाईजी नियुक्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी है एवं निविदाओं में प्राप्त अधिकतम राजस्व देने वाले निविदादाता को वितरण फ्रेंचाईजी का कार्य हस्तगत करने की कार्रवाई की जा रही है । विशेषज्ञ परामर्शी के द्वारा दिये गये अनुमान के अनुसार आगामी 15 वर्षों में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अनुपात में वितरण फ्रेंचाईजी द्वारा लगभग राँची अंचल में रु0–8015 करोड़ एवं जमशेदपुर अंचल में रु0–5900 करोड़ का अधिक राजस्व बोर्ड को दिया जायेगा । उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दर बोर्ड के द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के माध्यम से निर्धारित कराये जायेंगे एवं टैरिफ निर्धारण में वितरण फ्रेंचाईजी का कोई योगदान नहीं होगा ।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4189 / दिनांक 18.12.13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13

सरकार के अवर सचिव

(54)

श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–07 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता **श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स०वि०स०**		उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के हुसैनाबाद प्रखण्ड अधीन महुडँड़ पंचायत के ग्राम लपसेरा, कुरदाग, फटिया, चोरपहरा तथा लोहबँधा आदि गाँवों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत बिजली की आपूर्ति नहीं होती है;		स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित ग्राम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ,		स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड 1 में वर्णित ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		10वीं पंचवर्षीय योजना में आर0जी0जी0भी0वाई0 अन्तर्गत किये जा रहे विद्युतीकरण के कम में उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कार्यों मे0 आई0भी0आर0सी0एल0 द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसके लिए वर्तमान लोड एवं वांछित कार्यों का आकलन करते हुए दिनांक–31.01.2014 तक डी0पी0आर0 तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है एवं तदुपरान्त पुनर्निविदा आमंत्रित की जायेगी .। इसके अतिरिक्त जो गॉव/टोला 10वीं पंचवर्षीय योजना अथवा अन्य किसी भी योजना की डी0पी0आर0 दिनांक–31.12.2013 तक समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है । तदुपरान्त उक्त डी0पी0आर0 पर भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् कियान्वयन हेतु कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4190 /

दिनांक 18-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13

सरकार के अवर सचिव

55

माननीय स०वि०स० श्री गुरूचरण नायक द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिला के सोनुवा प्रखण्ड में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1955–56 में सोनुवा गोंडा साई डैम एवं सिंचाई केनाल का निर्माण हुआ था ;	स्वीकारात्मक है। इस योजना को सोनुआ सिंचाई योजना के नाम से जाना जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि सोनुवा गोंडा साई डैम एवं केनाल का जिर्णोद्धार कई वर्षों नहीं हुआ है तथा जगह–जगह केनाल का आड़ टुटा है तथा केनाल में मिट्टी भर गया है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त डैम एवं केनाल का मरम्मति होने से चार पंचायत के किसानों की सिंचाई हेतु पानी मिल पाऐगी ;	अस्वीकारात्मक है। इस योजना से वर्त्तमान में सृजित क्षमता का 80% सिंचाई उपलब्ध करायी जा रही है। शेष रकवा में सिंचाई की सुविधा नहर में कतिपय सम्पोषण कार्यों को करा लेने पर उपलब्ध हो सकेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सोनुवा गोंडासाई डैम एवं सिंचाई केनाल का जिर्णोद्धार कराना चाहती है। यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नहरों में गाद जमा हो जाने के कारण पूर्ण सृजित क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में योजना के लिए बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक मरम्मति कार्य कराए जाने पर विभाग विचार करेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः 6/ज०सं०वि०– 10–14/2013...7619.../राँची, दिनांक 17-12-13/
प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–प्र०–590/वि० स० दिनांक 12.12.2013 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदा०–6 जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(56)

उत्तर की तिथि:–19.12.2013

श्री दीपक बिरूवा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–27 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स०	श्री हाजी हुसैन अंसारी, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल के केरा लैम्पस में वर्ष 2013 के लिये 203 स्थानीय किसानों ने फसल बीमा की प्रीमियम राशि लैम्पस अधिकारियों के पास जमा की गई थी।	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि लैम्पस पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों से प्राप्त प्रीमियम राशि कुल–63,263/– रूपये बैंक में जमा न कर निजी कार्य में खर्च कर दिया गया है।	अस्वीकारात्मक है। केरा लैम्पस में किसानों द्वारा फसल बीमा हेतु प्रीमियम की राशि जमा करते समय ही विभागीय संकल्प संख्या–1208 दिनांक–22.05.2013 में दिये गये निदेश: के आलोक में लैम्पस के द्वारा किसानों से उनके जमीन संबंधी दस्तावेज की मांग की गयी थी, परन्तु उनके द्वारा यह कहा गया कि एक दो दिनों में जमीन संबंधी कागजात जमा कर दिया जायेगा। प्रीमियम की राशि बैंक में जमा करने की तिथि तक बार–बार मागने पर भी कागजात जमा नहीं किया गया। फलस्वरूप बीमा को अवैध मानते हुए प्रीमियम की राशि संबंधित बैंक में जमा नहीं की जा सकी यह राशि समिति के शेष रोकड़ के रूप में संधारित था एवं किसी भी व्यक्ति या पदाधिकारी द्वारा निजी कार्य में व्यय नहीं किया गया है।
3. उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार फसल बीमा हेतु किसानों द्वारा जमा की गई राशि वापस करने एवं संबंधित दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	किसानों द्वारा ली गई बीमा प्रीमियम राशि जमा करने का अंतिम तिथि 31 अगस्त 2013 तक था एवं किसानों द्वारा वांछित अभिलेख (जमीन संबंधी दस्तावेज आदि) अंतिम तिथि तक जमा नहीं करने के कारण निर्धारित समय के पश्चात् समिति के निर्णयानुसार 203 किसानों में से 140 को नगद एवं 63 को A/c Payee चेक के द्वारा माह सितम्बर, 2013 में ही वापस कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

ज्ञापांक– 3/यो•सह•(विधान सभा)–19/2013 3390 /राँची, दिनांक– 18/12/2013

प्रतिलिपि:– सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची का ज्ञाप संख्या–625 दिनांक–15.12.2013 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13
(बन्धना कुल्लू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Sumant murmu/Vidhan Sabha

(57)

श्री कमल किशोर भगत, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 19.12.2013 को पूछा जानेवाला अलपसूंचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–24 से संबंधित उत्तर सामग्री।

क्र० सं०	प्रश्न	माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अल्पसंख्यकों से संबंधित विकास योजनाओं के केन्द्रीभूत तरीके से नहीं बन पा रही है, अल्पसंख्यक निदेशालय एवं शोध केन्द्र नहीं रहने के कारण योजनाओं का कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है ?	अस्वीकारात्मक। अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा चलायी जानेवाली योजनाओं का कार्यान्वयन केन्द्र/ राज्य सरकार के निर्देश/ मार्गनिर्देश के आलोक में उपायुक्तों द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से सही ढंग से कार्यान्वयन कराया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के सवरोजगार संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों के विकास हेतु अल्पसंख्यक निदेशालय एवं अल्पसंख्यक शोध केन्द्र की स्थापना किये जाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक सं०–8/वि० स०प्रश्न–64/2013 2756 राँची, दिनांक: 18/12/13

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–631 दिनांक–15.12.2013 के प्रसंग में दो सौ अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/12/13
(शकील जब्बार)
सरकार के उप सचिव।

58

माननीय स॰वि॰स॰ श्री गोपाल कृष्ण पातर द्वारा दिनांक 19.12.2013 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–26 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तमाड़ प्रखण्ड अन्तर्गत सुरंगी जलाशय योजना का ऑनलाईन उद्घाटन बिना नहर निर्माण के ही मंत्री, जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया ;	अस्वीकारात्मक है। योजना का बाँध, स्पीलवे एवं दोनों नहरों का कार्य पूर्ण है। बाँया मुख्य नहर के एक बिन्दु पर रिसाव के कारण नहर बैंक क्षतिग्रस्त हो गया है जिसकी मरम्मति करा दी जाएगी। मात्र नागासरीन उप वितरणी में NH-33 पर संरचना एवं इसका Approach का निर्माण नहीं हुआ है, जिसका निर्माण NHAI द्वारा अपनी विशिष्टता (4 लेन/6 लेन) के अनुसार किया जायेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि नहर का निर्माण समुचित रूप से पूर्ण नहीं होने के कारण सिंचाई कार्य बाधित है तथा वर्षा के दिनों में सुरंगी डैम से अनियंत्रित जल बहाव एवं जमाव से स्थानीय ग्रामीणों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक है। योजना से सिंचाई प्रदान की जा रही है। बाँध के गेटों की मरम्मति का कार्य करा दिया गया है तथा नहर में जल का बहाव नियंत्रित रूप से किया जा रहा है। इस वर्ष खरीफ में 1105 हे० में सिंचाई प्रदान की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में नहर का निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इस वर्ष की सिंचाई के दौरान नहर में जो कमिया नजर आई है, उसे दुरूस्त करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक: 6/ज०सं०वि०–10–16/2013 7634 /राँची, दिनांक 17-12-13 /

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–प्र०–627/वि० स० दिनांक 15.12.2013 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदा०–6 जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

C:\Users\user\Desktop\Gopal Krishna Patar.doc

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–21 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के टुण्डी प्रखण्ड के ग्रामों में राइटस कम्पनी द्वारा विद्युतीकरण का कार्य किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के टुण्डी प्रखण्ड के अनेकों ग्रामों में राईटस कम्पनी द्वारा विद्युतीकरण का कार्य छोड़ दिया गया है ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के प्रश्न उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार अवशेष ग्रामों में विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, कबतक नहीं तो क्यों ?	धनबाद जिला के टुण्डी विधान सभा अन्तर्गत टुण्डी प्रखण्ड एवं टुण्डी प्रखण्ड के शेष गाँव में विद्युतीकरण का कार्य झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें कुल गाँवों की सं०–62 (बासठ) है। सभी का प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है। विभाग द्वारा वर्तमान में 11 (ग्यारह) गाँवों के विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिसका प्रगति निम्नप्रकार है– (1) गैठीबेरा गाँव में ट्रांसफार्मर तक विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गयी है। (2) ग्राम मछियारा, लाहबेड़ा, जमडीहा, मुरारडीह, रूपुडीह, खटजोरी, कुकुरटांड, नवडीहा, भेल्लवई एवं शीतलपुर में एच0टी0डी0एस0एस0 एवं एल0टी0 लाईन में पोल गाड़े जा चुके है। शेष बचे 51 (इक्यावन) गाँवों का विद्युत आपूर्ति क्षेत्र धनबाद द्वारा निविदा के माध्यम से कार्य आवंटन हो चुका है। पाँच गाँव (1) देवपहाड़ (2) तकीपुर (3) पिलाटांड़ (4) चुनुकडीही (5) बेगनरिया में कुल 374 पोल 11 के0वी0ए0 एल0टी0 लाईन एवं डी0एस0एस0 हेतु कार्यस्थल पर उपलब्ध कराया गया है। विद्युत सामग्री का थर्ड पार्टी जांच कराया जा रहा है। विद्युत केन्द्रीय भण्डार पुटकी, धनबाद में कुछ सामग्री उपलब्ध हो चुका है, शेष सामग्री उपलब्ध होते ही बचे हुए गाँवों का विद्युतीकरण का कार्य मार्च 2014 तक तत्परता के साथ पुर्ण किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 5191 / दिनांक 18.12.13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13

सरकार के अवर सचिव

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–20 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधान सभा क्षेत्र के गिरिडीह एवं पीरटॉड प्रखण्डन्तर्गत फुलची, जसपुर श्रीरामपुर, सिमरकोडी, नावॉडीह, चिलगा एवं खेरकोका पंचायत के लगभग 40 (चालीस) गॉवों में विद्युतीकरण का कार्य लम्बित है,	स्वीकारात्मक है। मेसर्स राईट्स द्वारा छोड़े गये गाँव हैं, जिसे राज्य योजना में स्वीकृति के पश्चात विद्युतीकरण कराने हेतु कार्य का आवंटन विभिन्न संवेदकों को कर दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित गाँवों में विद्युतीकरण का कार्य नहीं होने के कारण विकास कार्य बाधित है ;	विद्युतीकरण हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के प्रश्न उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड –1 में वर्णित सभी गाँवों में जनहित में चालू वित्तिय वर्ष में विद्युतीकरण का कार्य करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं क्यों?	उपरोक्त सभी ग्रामों का मार्च 2014 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4185 / दिनाक 18.12.13

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13

सरकार के अवर सचिव

61

दिनांक 19.12.2013 को मंत्री, अल्पसंख्यक, कल्याण से पूछा जाने वाला प्रश्न स्थानान्तरित होकर मानव संसाधन विकास विभाग को प्राप्त हुआ है।

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-19

क्या माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण ग्रामीण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक-04 नवम्बर, 2011 को दुमका में आहूत कैबिनेट बैठक में राज्यान्तर्गत संचालित गैर प्रस्वीकृत 592 मदरसों को प्रस्वीकृति पश्चात् अनुदान देने की सहमति प्रदान की गई है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुतः 590 मदरसे ही है। दिनांक 04.11.2011 को मद संख्या-17 के रूप में मंत्रिपरिषद् द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :- **"झारखण्ड राज्यान्तर्गत अवस्थित निबंधित मदरसों को प्रस्वीकृति प्रदान करने संबंधी समर्पित प्रस्ताव को संस्कृत विद्यालयों सहित स्वीकृत किया गया। यह कार्रवाई तीन माह में पूरी की जाय। अनुदान संबंधी बिंदु पर अन्य राज्यों का पुनः अध्ययन कर अलग से प्रस्ताव लाया जाय।"**
2	क्या यह बात सही है कि दो वर्ष बीत जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा उपरोक्त सभी मदरसों को विधिवत् प्रस्वीकृति प्रदान नही किया जा सका है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29.11.1980 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले मदरसों को ही प्रस्वीकृति देनी है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा अभी तक 30 मदरसों को प्रस्वीकृति हेतु अनुशंसा राज्य सरकार को प्राप्त करायी गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि अनुदान के अभाव में उपरोक्त मदरसों में कार्यरत हजारों शिक्षकों एवं कर्मियों की हालत अत्यन्त ही दयनीय है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब 592 मदरसों को प्रस्वीकृति प्रावधान में शिथिलता बरतते हुए सभी को अनुदान देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दिनांक 28.11.2013 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 1533 दिनांक 30.11.2013 द्वारा निबंधित मदरसों को प्रस्वीकृति प्रदान करने के संबंध में भूमि संबंधी अर्हत्ता के शिथिलीकरण के बिंदु पर सुझाव परामर्शित करने हेतु प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 14.12.2013 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में संथाल परगना प्रमंडल में भूमि संबंधी मामले पर निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव भेजा है।

16.12.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-46/2013 3189 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः- सरकार के उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड. राँची।

(62)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–10 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि वि० आपूर्ति प्रमंडल, चास अंतर्गत 11 हजार के०वी०ए० लाईन, फतेहपुर में 10 वर्षों से लोहा का तार लगा हुआ है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त 11 के०वी०ए० लाईन में तार बदलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तार बदलने हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है एवं सामान उपलब्ध करा दिया गया है, लगभग एक माह में तार बदल दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4164 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13
सरकार के अवर सचिव

श्री रामचन्द्र सहिस, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 19.12.2013 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर सामग्री

क्रमांक	प्रश्न	माननीय मंत्री कल्याण का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत बोड़ाम प्रखण्ड में एक भी आवासीय विद्यालय नहीं है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि आवासीय विद्यालय नहीं होने के कारण यहाँ के कमजोर वर्ग के बच्चों को आज तक समुचित शिक्षा नहीं मिल पाया है।	अस्वीकारात्मक। दो उत्क्रमित उच्च विद्यालय के साथ कुल उच्च विद्यालयों की संख्या–5 है। मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों की संख्या–103 है जिसमें छात्र/छात्राएँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बोड़ाम प्रखण्ड में आवासीय विद्यालय की स्थापना कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	संविधान की धारा 275(1) के तहत पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला में एकलव्य विद्यालय की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है। जिला प्रशासन को भूमि की उपलब्धता हेतु निदेश दिया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर जमशेदपुर जिला में उक्त विद्यालय के निर्माण की कार्रवाई हो सकेगी।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–06/15 वि०स० –07/2013-2762 राँची, दिनांक: 18/12/13

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–558, दिनांक– 10.12.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/12/13
(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(64)

श्री रामचन्द्र सहिस, स0वि0स0 अल्प सूचित प्रश्न सं0–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत बोड़ाम एंव पटमदा प्रखंड के जनता सम्पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है, यहाँ एक भी उद्योग नहीं है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बोड़ाम एंव पटमदा प्रखंड के अधिक तालाब गर्मी आने के पहले सुख जाती है, जिसके कारण वहाँ के आम किसानों को सिंचाई हेतु सालोभर पानी नही मिलता,	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार पटमदा एंव बोड़ाम प्रखंड के सभी तालाबों का जीर्णोद्वार करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत योजनाओं की संभाव्यता पाये जाने पर प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। प्राप्त प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति बजटीय उपबंध एंव क्षेत्रीय संतुलन के आलोक में प्रदान की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः 6/ज0स0वि0/10–11/13 7623 राँची, दिनांक–17-12-13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–556 दिनांक–10.12.13 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव(अभि॰)
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\Dinil\My Documents\Vidhan Shabha_dilaha\10.12.2013\6_10-11_13.doc

(15)

श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–08 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि चाण्डिल अनुमण्डल में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत नीमडीह प्रखण्ड के आदरडीह एवं ईचागढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत रूगड़ी में विद्युत सब स्टेशन बनाने साथ ही कुकडु प्रखण्ड अन्तर्गत बहुत से गाँव में अभी तक बिजली से वंचित है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि विद्युत सब स्टेशन नहीं बनने से नीमडीह, ईचागढ़ एवं कुकडु प्रखण्ड के अधिकांशतः ग्रामों विद्युत आपूर्ति बाधित है ,	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्तखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्तयोजना को पूर्ण कर नीमडीह, ईचागढ़ एवं कुकडु प्रखण्डों के ग्रामों को आवाध रूप से विद्युत व्यवस्था बहाल करने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त प्रखंड के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति के लिए राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत ईचागढ़ एवं नीमडीह में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। नीमडीह विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण लगभग पूरा किया जा चुका है। संबंधित 33 केवी लाईन का कार्य किया जाना है। इसी प्रकार ईचागढ़ विद्युत शक्ति उपकेन्द्र एवं उससे जुड़े 33 केवी लाईन का कार्य निर्माणधीन है दोनों उपकेन्द्र एवं संबंधित 33 केवी लाईन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2014 है। तदोपरान्त वर्णित क्षेत्रों की गाँवों का विद्युत आपूर्ति कर दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4157 / दिनांक 16-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/13
सरकार के अवर सचिव

(66)

श्री बंधु तिर्की, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 19.12.2013 को पुछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०शु०–3 का उत्तर सामग्री।

क्रमाँक	प्रश्न	माननीय मंत्री कल्याण विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि आदिवासी सहकारी विकास निगम लि०, राँची द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 में ट्रैक्टर, टेम्पो, टाटा स्पेसियो एवं अन्य व्यवसायिक वाहन के साथ–साथ दुकान वा टेन्ट हाऊस जैसे रोजगार उन्मुखी कार्यों के लिए फर्जी दस्तावेज जमा कर लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराया गया।	वित्तीय वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 में झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लि० द्वारा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सफाईकर्मी/अल्पसंख्यक समुदाय के आवदकों को राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सावधि ऋण योजनान्तर्गत ऋण मुहैया कराया गया है वस्तुस्थिति यह है कि ऋण की स्वीकृति के समय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी द्वारा दिये गये जाति, आय, आवासीय प्रमाण–पत्र तथा उनके द्वारा प्रस्तुत गारन्टर के आधार पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टब्या लाभुक को प्रार्थित ऋण प्रदान किया जा सकता है और इसको ध्यान में रखकर उन्हें ऋण प्रदान किया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि आदिवासी सहकारी विकास निगम लि०, राँची फर्जी दस्तावेज जमा कर लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराने के कारण ऋण की वसूली नहीं हो पा रही है।	आवेदकों एवं उनके गारन्टरों से ऋण एकरारनामा एवं गारन्टर एकरारनामा के आधार पर लाभुकों को परिवहन क्षेत्र एवं व्यवसायिक क्षेत्र में रोजगार उन्मुखी कार्यो के लिए ऋण दिया गया। इनमें कुछ लाभुकों द्वारा भुगतान शून्य, अनियमित रहने की स्थिति में यह जानने के लिए कि ऋण का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, लाभुकों द्वारा समर्पित आवेदन के साथ संलग्न जाति, आय, आवासीय प्रमाण–पत्र की जाँच विभागीय पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी से प्रमाण–पत्र की सत्यता की जाँच करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार फर्जी दस्तावेज पर ऋण उपलब्ध कराने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा लाभुकों को दिये गये ऋण की वसूली करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ऐसे मामले जिन्होंने कुछ समय तक भुगतान के पश्चात् भुगतान करना बन्द कर दिया है उनमें से संप्रति 24 लाभुकों के विरूद्ध Public Demand Recovery Act के तहत् सर्टिफिकेट केस मामला दायर किया गया है एव अन्य 1 (एक) ऋण धारक द्वारा गलत दस्तावेज पाये जाने पर उनके विरूद्ध FIR दर्ज किया गया है। शेष पर प्रेस विज्ञप्ति किया गया है एवं वर्त्तमान में भी किया जा रहा है। निगम द्वारा लाभुक तथा गारंटर के विरूद्ध नोटिश निर्गत किया गया है। इस संबंध में यह भी कहना है कि ऐसे मामले जिनमें लाभुक द्वारा ऋण का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनकी जाँच करायी जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथाशीघ्र दोषियों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सत्यापनोपरान्त तथा स्थल जाँचोपरान्त जो लाभुक/गारन्टर मिलेंगे, उनसे ऋण वसूली हेतु नियमानुसार सर्टिफिकेट केस दायर करने की कार्रवाई कर ऋण की वसूली की जाएगी। यदि जाँच के क्रम में किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनपर भी नियमानुसार विभागीय कारवाई/विधि सम्मत कार्रवाई यथाशीघ्र की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–01/09 अ०सू० प्रश्न–02/2013 2759 राँची, दिनांक: 18/12/13

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या– 255, दिनांक– 06.12.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(शकील जब्बार)
सरकार के उप सचिव।

E:\Tanveer Alam\Question\KMU Sir.doc

67

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 18 का उत्तर सामग्री :–

उत्तरदाता माननीय मंत्री कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	2.	3.
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्यन्तर्गत मुख्य खरीफ फसल धान की रोपनी (आच्छादन) 31.08.2013 तक काफी कम वर्षा होने के कारण 1820.00 हजार हेक्टेयर में से मात्र 1097.69 हजार हेक्टेयर करीब 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही रोपाई की गई थी,	धान रोपाई का प्रतिशत राज्य स्तर पर 68.19 हैं।
2.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार रोपाई से वंचित धान क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करते हुए प्रभावित किसानों को विशेष सहायता देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की कार्रवाई आपदा प्रबंधन विभाग से की जाती है। किसानों को सहायता देने हेतु वैकल्पिक फसल योजना विभाग से आगू किया गया था। जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान पर मूँग, उड़द, तोरी के बीज का वितरण किया गया है। पूरे राज्य में इस योजना के तहत आवश्यकतानुसार 4577 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है।

झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग।

ज्ञापांक–09/कृ०वि०स०–18/2013– 3973 /कृ०, राँची, दिनांकः– 18-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं०–591 दिनांक–12.12.2013 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.13
(राम प्रसाद साय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–09/कृ०वि०स०–18/2013– 3973 /कृ०, राँची, दिनांकः– 18-12-13

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री कृषि के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.13
सरकार के संयुक्त सचिव।

(68)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 09 की उत्तर सामग्री :–

उत्तरदाता माननीय मंत्री कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	2.	3.
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड के डुमरी पंचायत में कृषि विभाग का नर्सरी के लिए जमीन है,	डुमरी प्रखण्ड परिसर में नर्सरी स्थित है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित जमीन खाली एवं बेकार पड़ा हुआ है।	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त जमीन पर कृषि फार्म हाउस के रूप में विकसित कर बीज उत्पादन केन्द्र एवं पौधाशाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त जमीन पर पौधशाला का निर्माण आवश्यक मुलभूत सुविधांओं के पश्चात् किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग।

ज्ञापांक–09 / कृ०वि०स०–16 / 2013– 3963 /कृ०, राँची, दिनांकः– 17-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं०–482 दिनांक–09.12.2013 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-12-13
(राम प्रसाद साय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–09 / कृ०वि०स०–16 / 2013– 3963 /कृ०, राँची, दिनांकः– 17-12-13

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची / विभागीय माननीय मंत्री कृषि के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / समन्वय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-12-13
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री समरेश सिंह, स०वि०स० अल्पसूचित प्रश्न सं0–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा विगत दो वर्ष पूर्व 30–30 हजार रूपये में 25 पंपसेट खरीदे गये थे, जो लाभूक किसानों के बीच चेकडैम से पानी निकालने के लिए वितरण कराना था,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सभी 25 पंपसेट पाईप सहित धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड स्थित लघु सिंचाई कार्यालय के सामने झाड़ी में पड़े–पड़े जंग लगाकर सड़ रहे है,	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि लाभूक किसानों को पंपसेट नहीं मिलने के कारण नुकसान कृषि और पैदावार पर पड़े है,	लाभुक समिति के गठन में लगातार विवाद उत्पन्न होने के कारण उक्त पम्प सेट को प्रमण्डल कार्यालय परिसर में सुरक्षित रखा गया था। 12 अदद् पम्प सेट संबंधित लाभूक समिति को हस्तगत कराया गया है। शेष पम्प सेट अविलम्ब संबंधित लाभूक समिति को हस्तगत करा दिया जाएगा।
4	यदि उपरोक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाही करने का विचार रखती है, जिसके कारण यह नुकसान उठाना पड़ा है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः 6/ज0स0वि0/70–10/13 7637 राँची, दिनांक– 17.12.13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–299 दिनांक 07.12.2013 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव(अभि॰)
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\Dixit\My Documents\Vidhan Shabha_dilalu\10.12.2013\6_70_10_13.doc

(70)

उत्तर की तिथिः–19.12.2013

श्री जनार्दन पासवान, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–06 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जनार्दन पासवान, माननीय स0वि0स0	श्री हाजी हुसैन अंसारी, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत प्रतापपुर प्रखण्ड में श्री रामाशंकर राम, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी विगत 7–8 वर्षों से पदस्थापित हैं।	स्वीकारात्मक है। श्री रामाशंकर राम, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रतापपुर प्रखण्ड में 22.03.2007 से पदस्थापित हैं।
2. क्या यह बात सही है कि श्री राम को पूर्व में अन्यत्र स्थानान्तरित भी किया गया था, परन्तु वो अपनी पैरवी के बल पर आज तक प्रतापपुर प्रखण्ड में बने हुए है।	यह सही है कि श्री रामाशंकर राम, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रतापपुर प्रखण्ड, चतरा का स्थानान्तरण निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, रांची के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–655 दिनांक–22.03.2012 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय मधुपूर प्रखण्ड, देवघर में किया गया था। परन्तु धान अधिप्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण मामले के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए विधान सभा में उठाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर के आलोक में समयक विचारोपरान्त कार्यहित में सहकारिता विभाग के आदेश ज्ञापांक–1558 दिनांक–12.06.2012 (छायाप्रति संलग्न) के क्रमांक–17 पर विभाग के स्तर से ही श्री रामाशंकर राम के स्थानान्तरण आदेश को रद्द कर दिया गया।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार श्री राम को अविलंब स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। विभागीय संकल्प संख्या–1205 दिनांक–08.05.2012 में निहित प्रावधानों के तहत माह दिसम्बर 2013 में स्थापना समिति की बैठक आहूत कर श्री रामाशंकर राम, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रतापपुर प्रखण्ड चतरा का स्थानान्तरण अन्यत्र कर अनुपालन कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

ज्ञापांक– 01 / स्था0अराज0(वि0स0प्र0)–248 / 13 सह0 3388 /राँची, दिनांक– 18/12/2013

प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची / अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची का ज्ञाप संख्या–362 दिनांक–07.12.2013 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13

(बन्धना कुल्लू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Sumant murmu/Vidhan Sabha

कार्यालय– निबंधक, सहयोग समितियॉ, झारखण्ड, रॉची।

आदेश

दिनांक 14.6.2011 एवं दिनांक 12.10.2011 को आहूत स्थापना समिति की बैठक में लिए गए अनुशंसा के आलोक में संलग्न विवरणी –I एवं II में उल्लिखित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय/स्थान पर किया जाता है।

2. संबंधित कार्यालय प्रधान/नियंत्री पदाधिकारी को आदेशित किया जाता है कि स्थानान्तरित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर निश्चित रूप से नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु विरमित कर देंगे।तत्पश्चात् स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

3. स्थानान्तरित पदाधिकारी/कर्मचारियों को माह अप्रैल का वेतन नव पदस्थापित स्थापना से भुगतान किया जायेगा।

4. संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वे विरमित होने के पश्चात निर्धारित पारगमण काल के अन्तर्गत नव पदस्थापित स्थान पर योगदान करेंगे।

5. जिन सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जा रहा है, यदि उक्त स्थान पर कोई दूसरा प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी होंगे तो वैसी स्थिति में वे उक्त प्रखण्ड में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा उनका स्थापना संबंधित सहायक निबंधक के यहॉ रहेगा।

6. जिन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन पर किया गया है, उन्हे स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची का अनुमोदन प्राप्त है।

22/3/12

निबंधक,
सहयोग समितियॉ, झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांकः– 2/3 व0अंके0नियुक्ति–34/2011 655 / रॉची, दिनांक 22/3/12

प्रतिलिपिः– विवरणी –I एवं II के साथ सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची/ संबंधित संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ/संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संबंधित सहायक निबंधक,सहयोग समितियॉ/संबंधित प्रबंध निदेशक/ संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/संबंधित प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोपरि।

22/3/12

निबंधक,
सहयोग समितियॉ, झारखण्ड, रॉची।

विवरणी– I

क्र०	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का नाम	वर्तमान् पदस्थापना	स्थानान्तरित कार्यालय / स्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	संयुक्त निबंधक, स0स0, राँची सम्प्रति प्रतिनियुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची	जिला सहकारिता पदाधिकारी, कार्यालय साहेबगंज	
2	श्री अजित कुमार	सहायक निबंधक, स0स0, राँची	जिला सहकारिता पदाधिकारी, कार्यालय चाईबासा	
3	श्री अमूल रत्न तिर्की	सहायक निबंधक, स0स0, राँची	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जामताड़ा, स्थापना प्रखण्ड विकास पदाधिकरी, जामताड़ा	
4	श्री राजीव कुमार वर्मा	सहायक निबंधक, स0स0, राँची सम्प्रति कार्यालय– निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची में प्रतिनियुक्त	कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, चास	
5	श्री अरूण कु0 सिन्हा	सहायक निबंधक, स0स0, जमशेदपुर	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, चाण्डिल। स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चांडिल, सरायकेला	
6	श्रीमती सुधा कुमारी	सहायक निबंधक, स0स0, जमशेदपुर	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बरकट्ठा। स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकट्टा,(हजारीबाग)	
7	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	सहायक निबंधक, स0स0, घाटशीला	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, टुण्डी, धनबाद। स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टुण्डी, धनबाद	
8	श्री शिव किशोर	सहायक निबंधक, स0स0, चाईबासा	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची	
9	मो0 इलियास अहमद खाँ	सहायक निबंधक, स0स0, चाईबासा	सहकारिता प्रसार पदाधिकरी, बानो। स्थापना कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सिमडेगा	
10	श्री इन्दू भूषण लाल	सहायक निबंधक, स0स0, चाईबासा	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, लेसलीगंज, स्थापना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेसलीगंज, पलामू	
11	श्री आशुतोष कु0 अम्बष्ट	सहायक निबंधक, स0स0, चक्रधरपुर	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकरी, जलडेगा। स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जलडेगा, सिमडेगा	
12	श्री बिनोद प्रसाद	सहायक निबंधक, स0स0, चक्रधरपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकरी, खूंटी। स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूंटी	
13	श्री प्रमोद कुमार	सहायक निबंधक, स0स0, चक्रधरपुर	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकरी, मझियाँव, स्थापना कार्यालय –प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझियाँव, गढवा।	
14	श्री बसंत कुमार राय	सहायक निबंधक, स0स0, सरायकेला	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, हुसैनाबाद। स्थापना कार्यालय–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू	

o	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का नाम	वर्तमान् पदस्थापना	स्थानान्तरित कार्यालय / स्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
15	श्री सत्येन्द्र कुमार	सहायक निबंधक, स0स0 सरायकेला	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकरी, गढ़वा सदर। स्थापना कार्यालय–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गढ़वा सदर	
16	श्री मिथिलेश कुमार	सहायक निबंधक, स0स0, गुमला	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, स्थापना कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रॉची	
17	श्री अमरदेव	सहायक निबंधक, स0स0, लातेहार	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, स्थापना कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, चक्रधरपुर	
18	श्री बिरेन्द्र कुमार	सहायक निबंधक, स0स0, लातेहार	सहकारिता प्रसार पदाधिकरी, स्थापना कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, जमशेदपुर	
19	श्री सुरेन्द्र प्र0 उपाध्याय	सहायक निबंधक, स0स0, पलामू	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकरी, बिशणुगढ़, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विष्णुगढ़, हजारीबाग	
20	श्री विनय कुमार	सहायक निबंधक, स0स0, गढवा सम्प्रति झास्कोलैप्फ में प्रतिनियुक्त।	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, चूरचू, स्थापना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चूरचू, हजारीबाग।	
21	श्री राजेश कु0 श्रीवास्तव	सहायक निबंधक, स0स0, हजारीबाग।	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, स्थापना सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, तेनुघाट, बोकारो।	
22	श्री रमा शंकर राम	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड–प्रतापपुर, जिला– चतरा।	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मधुपुर, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुपुर, देवघर।	
23	श्री कृष्ण कु0 चौधरी	सहायक निबंधक, स0स0, गिरिडीह	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सिमडेगा सदर, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा सदर।	
24	श्री अशोक कुमार	सहायक निबंधक, स0स0, गिरिडीह	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बंदगॉव, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बंदगॉव, चक्रधरपुर	
25	श्री अख्तर हसनैन कादरी	सहायक निबंधक, स0स0, गिरिडीह	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, स्थापना कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, चक्रधरपुर	
26	श्री राजीव कुमार	सहायक निबंधक, स0स0, चास	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, विश्रामपुर, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू।	
27	श्री अजीत कु0 सिंह	सहायक निबंधक, स0स0, धनबाद	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, पतना, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतना, साहेबगंज	
28	श्री विश्वनाथ राम	सहायक निबंधक, स0स0, धनबाद	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सरैया, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरैया दुमका	

००	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का नाम	वर्तमान् पदस्थापना	स्थानान्तरित कार्यालय / स्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
29	श्री राधेश्याम प्रसाद	सहायक निबंधक, स0स0, कोडरमा	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जामा, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामा, दुमका	
30	श्री मुजफ्फर इसलाम	सहायक निबंधक, स0स0, कोडरमा	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कुचाय, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा	
31	श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक निबंधक, स0स0, दुमका सम्प्रति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका में प्रतिनियुक्त।	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जमुआ, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमुआ, गिरिडीह	
32	श्री बिजेन्द्र प्र0 सिंह	सहायक निबंधक, स0स0, दुमका	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, गोमियो, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोमियो, तेनुघाट (बोकारो)	
33	श्री अनिरूद्ध कुमार	सहायक निबंधक, स0स0, देवघर	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, ईचागढ़, स्थापना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईचागढ़, सरायकेला	
34	श्री शशि भूषण प्रसाद	सहायक निबंधक, स0स0, देवघर	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, भंडरिया, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भंडरिया, गढ़वा	
35	श्री भीमसेन पासवान	सहायक निबंधक, स0स0, पाकुड़	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कुण्दा, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुण्दा, चतरा	
36	श्री राजू रजक	सहायक निबंधक, स0स0, साहेबगंज	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कुडू, स्थापना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू, लोहरदगा	
37	श्री पंकज कुमार	सहायक निबंधक, स0स0, साहेबगंज सम्प्रति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग में प्रतिनियुक्त।	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, स्थापना कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोडरमा	
38	श्री मुकेश कुमार जयपुरियार	सहायक निबंधक, स0स0, साहेबगंज।	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बगोदर, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह	
39	श्री सुनील कुमार साह	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खूंटी	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कांके, स्थापना कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, राँची	
40	श्री सुदिष्ट नारायण सिंह	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, चाईबासा	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, धालभूमगढ़, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धालभूमगढ़, घाटशीला	

21.3.12.

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

क्र०	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का नाम	वर्तमान् पदस्थापना	स्थानान्तरित कार्यालय / स्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सूर्यकान्त पाण्डेय	प्रखण्ड विकास पदा0, हरिहरगंज, पलामू सम्प्रति कार्यालय– निबंधक, सहयोग समितियॉं, झारखण्ड, रॉंची में प्रतिनियुक्त	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बेड़ो, स्थापना कार्यालय– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेड़ो, रॉंची	अभ्यावेदन के आधार पर
2	श्री विजय कु0 चौधरी	सहायक निबंधक, स०स०,गोड्डा	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी, स्थापना– कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी, गोड्डा	अभ्यावेदन के आधार पर
3	श्री अवधेश कुमार	आई0सी0डी0पी0, सिंहभूम	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सिमडेगा सदर, स्थापना कार्यालय– सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉं, सिमडेगा	अभ्यावेदन के आधार पर
4	श्री सिद्धनाथ सिंह	सहायक निबंधक, स०स०, गिरिडीह	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रतापपुर, स्थापना कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉं, चतरा	अभ्यावेदन के आधार पर
5	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	सहायक निबंधक, स०स०, देवघर	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, चाण्डिल, स्थापना कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉं, सरायकेला	अभ्यावेदन के आधार पर
6	श्री अशोक कुमार	सहायक निबंधक, स०स०, जमशेदपुर, प्रति0– प्रखण्ड महेशपुर, पाकुड़	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, महेशपुर, स्थापना कार्यालय– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महेशपुर, पाकुड़	अभ्यावेदन के आधार पर
7	श्री जितेन्द्र मिंज	सहायक निबंधक, स०स०, गिरिडीह	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, किस्को, स्थापना कार्यालय– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, किस्को, लोहरदगा	अभ्यावेदन के आधार पर
8	श्री राम निवासन	सहायक निबंधक, स०स०, चाईबासा	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, पेशरार, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पेशरार, लोहरदगा	
9	श्री रणजीत कुमार सिंह	सहायक निबंधक, स०स०, पलामू	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कोडरमा सदर, स्थापना कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोडरमा सदर, कोडरमा	अभ्यावेदन के आधार पर
10	श्री रामनारायण सिंह	सहायक निबंधक, स०स०, हजारीबाग, सम्प्रति झाम्कोफेड, रॉंची में प्रतिनियुक्त	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, स्थापना कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉं, रॉंची सम्प्रति झाम्कोफेड, रॉंची में प्रतिनियुक्त	

क्र०	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	स्थानान्तरित कार्यालय / स्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
11	श्री मधुसूदन ठाकुर	सहायक निबंधक, स०स०, चक्रधरपुर	प्रतिनियुक्ति समाप्त श्री ठाकुर सहायक निबंधक, स०स०, चक्रधरपुर में योगदान करेंगे।	
12	श्री सुनील कुमार चौधरी	सहायक निबंधक, स०स०, रॉची	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी स्थापना कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, रॉची सम्प्रति प्रतिनियुक्त भेजफेड, रॉची	अभ्यावेदन के आधार पर
13	श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा	सहायक निबंधक, स०स०, पाकुड़	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, राणेश्वर, स्थापना कार्यालय सहायक निबंधक, स०स०, दुमका	अभ्यावेदन के आधार पर
14	श्री शंभू शरण	सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, जामताड़ा	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, स्थापना कार्यालय– सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, धनबाद	अभ्यावेदन के आधार पर

21-3-12

निबंधक,
सहयोग समितियॉ,
झारखण्ड, रॉची।

झारखण्ड सरकार

सहकारिता विभाग

कार्यालय आदेश

सहकारिता विभाग द्वारा विधान सभा में धान अधिप्राप्ति, जैसे महत्त्वपूर्ण मामले के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त कार्यहित में निबंधक, स०स० के कार्यालय आदेश संख्या–656 दिनांक–22.03.2012 के द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश के तहत नियमानुसार विरमित होकर स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने वाले कर्मियों को छोड़कर निम्नांकित कर्मियों का स्थानान्तरण आदेश रद्द किया जाता है।

क्रमांक	नाम		पदस्थापित स्थान
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह	–	संयुक्त निबंधक, स०स०, राँची
2.	श्री अजीत कुमार	–	सहायक निबंधक, स०स०, राँची
3.	श्री अमूल रत्न तिर्की	–	सहायक निबंधक, स०स०, राँची
4.	श्री राजीव कुमार शर्मा	–	सहायक निबंधक, स०स०, राँची
5.	श्रीमती सुधा कुमारी	–	सहायक निबंधक, स०स०, जमशेदपुर
6.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	–	सहायक निबंधक, स०स०, घाटशिला
7.	मो० इलियास अहमद खाँ	–	सहायक निबंधक, स०स०, चाईबासा
8.	श्री प्रमोद कुमार	–	सहायक निबंधक, स०स०, चक्रधरपुर
9.	श्री बसन्त कुमार राय	–	सहायक निबंधक, स०स०, सरायकेला
10.	श्री सत्येन्द्र कुमार	–	सहायक निबंधक, स०स०, सरायकेला
11	श्री मिथिलेश कुमार	–	सहायक निबंधक, स०स०, गुमला
12.	श्री अमरदेव	–	सहायक निबंधक, स०स०, लातेहार
13.	श्री विरेन्द्र कुमार	–	सहायक निबंधक, स०स०, लातेहार
14	श्री सुरेन्द्र, प्र० उपाध्याय	–	सहायक निबंधक, स०स०, पलामू
15	श्री विनय कुमार	–	सहायक निबंधक, स०स० गढ़वा
16	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	–	प्रतिनियुक्त झारकोलैम्फ, सहायक निबंधक स०स०, हजारीबाग
17	श्री रामा शंकर राम		प्रखण्ड, स०प्र०पदा०, प्रखण्ड प्रतापपुर जिला–चतरा
18.	श्री राजीव कुमार	–	सहायक निबंधक, स०स०, चास
19	श्री अजीत कुमार सिंह	–	सहायक निबंधक, स०स०, धनबाद
20.	श्री विश्वनाथ राम	–	सहायक निबंधक, स०स०, धनबाद
21	श्री राधेश्याम प्रसाद	–	सहायक निबंधक, स०स०, कोडरमा
22.	श्री मुजफ्फर इस्लाम	–	सहायक निबंधक, स०स०, कोडरमा
23.	श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव	–	सहायक निबंधक, स०स०, दुमका
24	श्री विजेन्द्र प्र० सिंह	–	सहायक निबंधक, स०स०, दुमका
25.	श्री अनिरूद्ध कुमार	–	सहायक निबंधक, स०स०, देवघर
26.	श्री शशिभूषण प्रसाद	–	सहायक निबंधक, स०स०, देवघर
27	श्री भीमसेन पासवान	–	सहायक निबंधक, स०स०, पाकुड़

		—	सहायक निबंधक, स0स0, साहेबगंज
28.	श्री राजू रजक	—	सहायक निबंधक, स0स0, साहेबगंज
29.	श्री पंकज कुमार	—	सहायक निबंधक, स0स0, साहेबगंज
30.	श्री मुकेश कुमार जयपुरियार	—	सहायक निबंधक, स0स0, पलामू
31.	श्री रणजीत कुमार सिंह		सहायक निबंधक, स0स0, चतरा/लातेहार
32.	श्री मधुसूदन ठाकुर	—	प्रतिनियुक्त झास्कोलैम्फ
		—	सहायक निबंधक, स0स0, राँची
33.	श्री सुनील कुमार चौधरी	—	सहायक निबंधक, स0स0, जामताड़ा
34.	श्री शंभु शरण		

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–

(बिपता उराँव)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– वि0मण्डलीय–05–14/12 सह0 1558 /राँची, दिनांक 12/06/2012 /

प्रतिलिपि:– निबंधक, स0स0, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त निबंधक, स0स0/सभी जिला सहकारिता पदा0/सभी सहायक निबंधक, स0स0 एवं संबंधित सभी सहकारिता प्रसार पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिपता उराँव)

सरकार के अवर सचिव।

7354197614

06541222375 पसरा (झारखण्ड) राँची

(71)

श्री अरूण मंडल, स0 वि0 स0 का अल्पसूचित प्रश्न सं0–22 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के उधवा प्रखंड में उदवा सिंचाई योजनान्तर्गत क्रमशः राधानगर उत्तरी एवं दक्षिणी, मनीहारी टोला, पतौड़ा झील, इंगलिस फुदकीपुर तथा राजमहल प्रखंड के नौगच्छी उदवा लिफ्ट सिंचाई योजना विगत ग्यारह (11) वर्षो से मरम्मति एंव बिजली के अभाव में बन्द पड़ा है, जिससे हजारो किसान सिंचाई से वांछित है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा पूर्व में भी योजना की स्वीकारोक्ति का आश्वासन देकर आजतक परियोजना की शुरूआत नहीं की गई,	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वर्णित सभी योजनाओं का मरम्मति एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यो?	• योजना की लाभ–लागत, क्षेत्रीय संतुलन एंव बजटीय उपबंध के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। • इन योजनाओं में बिजली सुविधा उपलब्ध कराने हेतु झारखंड विद्युत बोर्ड से अनुरोध किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः 6/ज0सं0वि0–10–अ0सू0–15/2013 7625 राँची, दिनांक– 17-12-13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–611 दिनांक 12.12.2013 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव(अभि॰)
जल संसाधन विभाग, राँची

72

माननीय स॰वि॰स॰ श्री सौरभ नारायण सिंह द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं॰–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के प्रखण्ड टाटीझरिया के ग्राम बौधा में बौधा डैम अवस्थित है,	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि बौधा डैम में मिट्टी के भराव के कारण डैम में पानी की क्षमता कम होते जा रही है तथा गेट एवं कैनाल कई वर्षों से टुटा पड़ा है जिससे पानी बेकार में बह रहा है जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है।,	आंशिक स्वीकारात्मक है। डैम के जीवित संचयन क्षमता में कमी नहीं हुई है। गेट टूटा हुआ नहीं है, परन्तु गेट से लिकेज है, जिसे ठीक कराने हेतु कार्रवाई की जायेगी।
3.	क्या यह बात सही है कि बौधा डैम का गेट टूट जाने से रब्बी फसल बोने वाले किसानों को समय पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, एवं किसानों को सिंचाई में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। योजना से आंशिक सिंचाई दी जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बौधा डैम गहरीकरण एवं गेट कैनाल का मरम्मति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बौधा डैम के जलाशय क्षेत्र के गहरीकरण की आवश्यकता नहीं है। नहरों के पुनर्स्थापन कार्य का DPR तैयार किया जा रहा है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् योजना के लिए बजटीय उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए योजना का मरम्मति कार्य प्रारम्भ कराये जाने पर विभाग विचार करेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः 6/ज॰सं॰वि॰–10–09/2013 7626 /राँची, दिनांक 17-12-13/
प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं॰–प्र॰–260/वि॰ स॰ दिनांक 06.12.2013 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदा॰–6 जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव (अभि॰)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(73)

माननीय स॰वि॰स॰ श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं॰–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत भैरवा जलाशय योजना वर्षों से अधूरा है। जिसके कारण रामगढ़ जिले के गोला, दुलमी, चितपुर एवं रामगढ़ प्रखण्ड में सिंचाई कार्य अत्याधिक प्रभावित हो रहा है, जिसका बुरा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि भैरवा जलाशय योजना का केवल रिवर क्लोज एवं कुछ नहर निर्माण का कार्य बाकी है, परन्तु विभागीय उदासीनता के कारण योजना वर्षो से अधूरा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। यह सही है कि योजना का केवल रिवर क्लोजर (River Closer) एवं नहर का आंशिक कार्य बाकी है। न्यायादेश के आलोक में बढ़ी हुई दर पर भू–मुआवजा का भुगतान के लिये योजना के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त योजना के शेष कार्यों को पूरा करा लिया जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त योजना को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अधूरा कार्य को पूरा करने का विचार रखती है, यदि नही तो क्यों ?	प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक: 6/ज॰सं॰वि॰–10अ॰सू॰ 12/2013 7641 /राँची, दिनांक 17-12-13/

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं॰–प्र॰–557/वि॰ स॰ दिनांक 10.12.2013 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदा॰–6 जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

संयुक्त सचिव (अभि॰)
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\2\MINZ\vidhan sabha\2013-14\Chandra Prakash Chaudhary-J 13.doc 1

श्री रामचन्द्र बैठा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.12.2013 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–14 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री रामचन्द्र बैठा, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत खलारी प्रखण्ड के निम्नलिखित गाँव होयर चूटी, अम्बा टुंगरी, चिन्नाटांड, लखेदवा, गुलजारबाग हरिजन टोला, नारायण घौड़ा के निवासी आज भी लालटेन युग में रहने को विवश है;	ग्राम मायापूर के टोला चिन्नाटाड का विद्युतीकरण दिसम्बर–2013 के प्रथम सप्ताह में कर दिया गया है। नारायण घेड़ा, खेलारी बाजारटांड (विद्युतीकृत ग्राम) का एक टोला है, जिसकी कुछ क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। खलारी प्रखण्ड अन्तर्गत होयर चूटी, एवं अम्बा टुगरी ग्राम दक्षिणी चुरी का टोला है। ग्राम दक्षिणी चुरी अविद्युतीकृत ग्राम है। गुलजारबाग, हरिजन टोला (अविद्युतीकृत) खेलारी पंचायत (विद्युतीकृत) का एक अविद्युतीकृत टोला है। लड़देवरा(अविद्युतीकृत) हेसालॉग (विद्युतीकृत ग्राम) का एक टोला है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त गाँवों में बिजली पहुँचाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सभी बचे हुए टोला का विद्युतीकरण हेतु 12 वीं प्लान के अन्तर्गत सर्वे का कार्य किया जा रहा है एवं डी०पी०आर० बनाने का कार्य प्रगति पर है, जो 31.12.2013 तक बनाने का लक्ष्य है। उक्त योजना की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से मिलने के पश्चात अग्रतर कार्रवाही की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 4184 / दिनांक 18-12-13

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13

सरकार के अवर सचिव

(75)

माननीय स०वि०स०, श्री अरविन्द कुमार सिंह के द्वारा दिनांक 19.12.2013 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–17 का जल संसाधान विभाग से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना में विभाग द्वारा नई विकास पुस्तिका पूर्ण जाँच कर जारी की गयी है, जिसमें विस्थापितों/ प्रभावितों को मुआवजा राशि के भुगतान का आकड़ा पूर्ण रूप से दिये गये हैं,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि तालाब व मकान एवं कुआँ का भुगतान करने का उपर्युक्त विस्थापितों/प्रभावितों को प्रावधान है,	अर्जित रकवा के अन्दर अगर रैयतों का मकान, कुँआ, तालाब स्थित है तो इनका मूल्यांकन कराकर भू–अर्जन अधिनियम के तहत् रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि ईचागढ प्रखण्ड अन्तर्गत रूगड़ी गाँव के विस्थापितों एवं प्रभावितों को नई विकास पुस्तिका में शामिल नहीं किया गया है,	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विस्थापितों को तालाब कुँआ व मकान एवं रूगड़ी गाँव के विस्थापितों को पूर्णरूप से मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रूगड़ी ग्राम में अवस्थित मकान, कुँआ, तालाब के मुआवजा भुगतान हेतु दायर किये गये याचिका WP(C) No.- 7489/11 गोविन्द महतो एवं अन्य बनाम राज्य सरकार मामले में पारित न्यायादेश में आयुक्त, कोल्हान को इस विषय पर सुनवाई कर निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया। इस विषय पर आयुक्त, कोल्हान के निदेशानुसार उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा सम्बन्धित भू–धारियों द्वारा धारा–12(2) के अधीन नोटिस प्राप्त की तिथि के 6 सप्ताह या पंचाट की तिथि के 6 माह के अन्दर कोई आवेदन विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी को नहीं दिये जाने के कारण 20 वर्षों पश्चात् आपत्ति का कोई वैद्यानिक आधार नहीं होने के आधार पर इस ग्राम के रैयतों का मकान/कुँआ/तालाब के भुगतान का मामलें को खारिज कर दिया गया। अब यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में वाद सं०–1048/12 के तहत् विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार इस विषय पर कार्रवाई किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि० 10–अ०सू०–13/2013 – 7631 **/राँची, दिनांक** 17-12-13

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 589 दिनांक 12.12.2013 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/13

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

राशन कार्ड का वितरण ।

76/ श्री अरूप चटर्जी--क्या मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 67 लाख परिवारों ने ए०पी०एल० एवं बी०पी० एल० कार्ड हेतु आवेदन दिया है, तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि, राज्य भर में 26 जनवरी, 2012 से राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा परन्तु यह कार्य आज 23 माह उपरान्त भी प्रारम्भ नहीं हो पाया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब राशन कार्ड की मंशा रखती है, हाँ, तो कब नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) राज्य में नये सिरे से राशन कार्ड के लिए कुल 52,59,646 आवेदन प्राप्त हुए हैं । अबतक 12,43,523 राशन कार्ड मुद्रित कराकर जिलों को वितरण हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है तथा जिलों में वितरण कार्य जारी है ।

(2) प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का अंकीकरण जिला स्तर पर एन०आई०सी० की देख-रेख में किया जा रहा है । अंकीकृत आवेदनों को एन०आई०सी० मुख्यालय से राशन कार्ड मुद्रणकर्त्ता को उपलब्ध कराया जा रहा है । राशन कार्ड मुद्रणकर्त्ता द्वारा जिलों से प्राप्त अंकीकृत आवेदनों का राशन कार्ड मुद्रण कर संबंधित जिलों में उपलब्ध कराया जा रहा है । अंकीकृत आवेदनों में आवेदक का पारिवारिक रंगीन फोटो, सदस्यों के नाम, उम्र आदि साथ ही यू०आई०डी० संख्या आदि का सिडिंग किया जा रहा है । राज्य एन०आई०सी० से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 9 दिसम्बर, 2013 तक राशन कार्ड मुद्रण की स्थिति निम्नप्रकार है :-
कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या - 52,59,646 कुल राशन कार्ड अंकीकरण-49,66,078 कुल राशन कार्ड मुद्रण - 20,78,977 कुल राशन कार्ड जिलों में उपलब्ध कराया गया-12,43,523 राशन कार्ड मुद्रण के साथ-साथ जिलों में नये राशन कार्ड उपलब्ध एवं वितरण का कार्य चल रहा है ।

---

(77)

उत्तर की तिथि:–19.12.2013

श्री अरूण मंडल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–23 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अरूण मंडल, माननीय स०वि०स०	श्री हाजी हुसैन अंसारी, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत कटहलबाड़ी लैम्पस का कार्यालय एवं गोदाम वर्षों से नहीं रहने के कारण समिति के किसान खाद, बीज, लोन आदि सुविधा से वंचित है।	साहेबगंज जिला के उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत कटहलबाड़ी लैम्पस का कार्यालय एवं गोदाम छत ढलाई तक निर्मित है। आवंटन के आभाव में पलास्टर एवं ग्रिल गेट लगाना बाकी है। किसान खाद, बीज आदि सुविधा से वंचित नहीं रहें हैं। वर्ष 2013–14 में भी कटहलबाड़ी लैम्पस के किसानों को गेहूँ 20 क्विंटल, दलहन ० क्विंटल, उड़द 1 क्विंटल, खाद 160 बौरा उपलब्ध कराया गया है। मार्जिन मनी (दो लाख) 2,00,000.00 एवं फर्नीचर फिक्सर भी आई०सी०डी०पी० से उपलब्ध कराया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि लैम्पस के अधीन जिन किसानों का फसल बीमा किया गया है, उन्हें बाढ़ से नष्ट होने के कारण बीमित राशि का भुगतान नहीं किया गया है।	उधवा प्रखण्ड के अन्तर्गत खरीफ 2013–14 के अन्तर्गत कुल 32 किसान रकवा 22 एकड़ बीमित राशि 2,03,122.00 प्रीमियम राशि 5084.00 का बीमा कराया गया है, जहां तक बाढ़ से फसल नष्ट होने की बात है, इसका आकलन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा होने के पश्चात् भुगतान किया जाता है।
3. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वर्णित लैम्पस का कार्यालय सह–गोदाम का निर्माण कराने तथा फसल बीमा का भुगतान यथाशीघ्र देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कटहलबाड़ी लैम्पस के कार्यालय–सह–गोदाम का पूर्ण निर्माण प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के उपरांत तीन महीने के अन्दर आई०सी०डी०पी० योजना साहेबगंज द्वारा कर लिया जायेगा। फसल बीमा क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान संभव हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

ज्ञापांक– 3/यो•सह•(विधान सभा)–20/2013 3389 /राँची, दिनांक– 18/12/2013

प्रतिलिपि:– सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची का ज्ञाप संख्या–618 दिनांक–14.12.2013 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/13
(बन्धना कुल्लू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Sumant murmu/Vidhan Sabha

(78)

श्री गोपाल कृष्ण पातर, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 25 का उत्तर प्रतिवेदन :

क्र0	अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि बुण्डू प्रखण्ड के नगर पंचायत अन्तर्गत लगभग 31 वर्ष पूर्व ही दुग्धशाला केन्द्र का निर्माण किया गया एवं आवश्यक पदाधिकारी–कर्मचारी की पदस्थापना भी की गई, किन्तु कुछ समय के पश्चात से ही दुग्धशाला केन्द्र मृतप्राय अवस्था में आ गया। यहाँ तक की दुग्धशाला केन्द्र में पदस्थापित पदाधिकारी–कर्मचारी भी बिना किसी कार्य के वेतन भुगतान पा रहे हैं,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि राँची जिला अन्तर्गत बुण्डू प्रखण्ड के नगर पंचायत अन्तर्गत अविभाजित बिहार की अवधि में लगभग 31 वर्ष पूर्व दुग्धशाला केन्द्र की स्थापना की गयी तथा पदाधिकारी–कर्मचारी की पदस्थापना भी की गई थी। उल्लेखनीय है कि बुण्डू क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में दूध की उपलब्धता नहीं रहने के कारण दुग्ध शीतक केन्द्र, बुण्डू का संचालन स्थापना के कुछ वर्षों के पश्चात बन्द कर दिया गया। वर्त्तमान में दुग्ध शीतक केन्द्र में एक प्रबन्धक, एक लिपिक एवं एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी पदस्थापित हैं, जिनके द्वारा बुण्डू के कार्य क्षेत्र में गव्य विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के क्रम में दुधारू पशुपालकों के लिए लाभकारी योजनाएँ यथा दुधारू मवेशी वितरण, हरा चारा उत्पादन, दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, पशु आहार वितरण एवं प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य संचालित किये जा रहे हैं, ताकि दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से ग्रामीणों को स्वरोजगार का अवसर प्राप्त हो सके।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त दुग्धशाला केन्द्र की यथाशीघ्र क्रियाशील करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बुण्डू में पूर्व में स्थापित दुग्ध शीतक केन्द्र में प्लान्ट एवं मशीनरी अत्यन्त पुरानी है एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। अतएव, इसकी मरम्मति तकनीकी दृष्टिकोण से समीचीन नहीं है। अतः वर्णित परिस्थिति में बुण्डू क्षेत्रान्तर्गत पर्याप्त मात्रा में दूध की उपलब्धता (Marketable surplus) नहीं रहने तथा केन्द्र का वायवल संचालन सम्भव नहीं हो सकने के कारण इस केन्द्र का पुनर्संचालन किया जाना युक्तिसंगत नहीं है। जल्द ही ऐसी योजना बनाई जा रही है, जिससे झारखण्ड में पर्याप्त दूध उपलब्ध हो जाय। वैसी परिस्थिति में बुण्डू के लिये भी योजना तैयार की जायेगी।

18.12.2013

(राम शंकर राय)
सरकार के उप सचिव

श्री गोपाल कृष्ण पातर, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 25 से सम्बन्धित पूरक सामग्री :

1. दुग्ध शीतक केन्द्र, बुण्डू की हस्तन क्षमता दो हजार लीटर प्रतिदिन है। झारखण्ड राज्य गठन के पूर्व वर्ष 1998 से ही इस शीतक केन्द्र का संचालन बन्द है।

2. दुग्ध शीतक केन्द्र, बुण्डू का संचालन बन्द किए जाने के पूर्व वर्ष 1997–98 के दौरान इस केन्द्र के द्वारा औसतन चार सौ लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहण किया जा रहा था, जो शीतक केन्द्र के वायवल संचालन के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं था।

3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत बुण्डू क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक ऋण सह सरकारी अनुदान पर निम्नवत रूप से संकर/उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का वितरण किया जा रहा है :

i) दो गाय/भैंस की योजना	– 500 यूनिट
ii) मिनी डेयरी (5 गाय/भैंस) की योजना	– 25 यूनिट
iii) मिडी डेयरी (10 गाय/भैंस) की योजना	– 15 यूनिट
iv) कॉमर्शियल डेयरी (20 गाय/भैंस) की योजना	– 5 यूनिट
v) मॉडर्न डेयरी (50 गाय/भैंस) की योजना	– 1 यूनिट

4. दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार एवं सहायक कार्य–कलाप (सपोर्ट एक्टिविटी) के लिए निम्नवत 8 (आठ) डेरी पशु विकास केन्द्रों स्थापित एवं संचालित हैं :

i) डेरी पशु विकास केन्द्र, तैमारा
ii) डेरी पशु विकास केन्द्र, बुण्डू
iii) डेरी पशु विकास केन्द्र, तमाड़
iv) डेरी पशु विकास केन्द्र, सोनाहातू
v) डेरी पशु विकास केन्द्र, सिल्ली
vi) डेरी पशु विकास केन्द्र, राहे
vii) डेरी पशु विकास केन्द्र, पतराहातु
viii) डेरी पशु विकास केन्द्र, पण्डाडीह

उपर्युक्त केन्द्रों के द्वारा औसतन 30 दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान प्रति माह किया जा रहा है।